समक्ष, नोटरी पब्लिक, देवघर , जिला– देवघर (झारखण्ड)

VI 9878
02/01/024

किरायानामा सह एकरारनामा

(ग्यारह महीने के लिये)

प्रथम पक्ष/मकान मालिक :– संजय भारद्वाज, पिता –स्व0 सीतारामा शर्मा , निवासी – कास्टर टाऊन, डी0ए0 भी0 स्कूल के निकट ,देवघर, वार्ड नं0 32, अन्तर्गत नगर निगम देवघर, पोस्ट थाना, सबडिविजन एवं जिला–देवघर –814112 (झारखण्ड)।

द्वितीय पक्ष/किरायादार :– पार्टनर निरंजन राय 2. राजेश रंजन 3. संजय भारद्वाज 4. रंजीत कुमार 5. ब्रजेश कुमार 6. राजेश कुमार चौधरी एवं 7. गोपाल रंजन सभी पार्टनर्स – मेसर्स पंचशुल हाइट्स (M/s Panchshul Heights) (सभी की आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न)।

लेख्य प्रकार :– किरायानामा सह एकरारनामा ।

किरायानामा की अवधि:– ग्यारह महीने के लिये , यानि दिनांक : **01.01.2024** से दिनांक: **30.11.2024** तक ।

मासिक किराया :– रू0 11000/– (ग्यारह हजार रूपये) प्रतिमाह, बिजली बिल अलग से।

सम्पति का विवरण :– जिला, सबडिविजन, देवघर, थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा श्यामगंज कास्टर टाऊन , देवघर, वार्ड नं0 32 अन्तर्गत नगर निगम देवघर, खाता संख्या– 21/3/86 अन्तर्गत ,पोस्ट थाना, सबडिविजन एवं जिला–देवघर में अवस्थित मकान मालिक का ग्राउन्ड फ्लोर पर अवस्थित एक आवासीय मकान जिसमें दो बेड रूम, एक हॉल के साथ, रसोईघर (फर्नीचर के साथ), बाथरूम सहित जिसका मालिक प्रथम पक्ष हैं , उक्त अवासीय मकान को प्रथम पक्ष/ मकान मालिक आपसी सहमति से द्वितीय पक्ष/किरायेदार को निम्न शर्तों पर 11 महीने के लिए देने हेतु तैयार हुए।

विदित हो कि आवश्यकतानुसार यह किरायानामा सह एकरानामा का सम्पादन हम उभय पक्षों के आपसी सहमति के आधार पर बनाया गया है।

NOTARY PUBLIC Madhav Nath Mishra Area-Dist. Deoghar Reg. No. 13548 Exp. Date-14/11/28 GOVT. OF INDIA

हम दोनो उपर वर्णित उभय पक्षगण किराया के संदर्भ में निम्न तथ्यों एवं शर्तों को स्वीकार एवं अंगीकार करते हैं कि :–

शर्त्ते

1. यह कि किराया एक ग्यारह महीने लिये यानि दिनांक : **01.01.2024 से दिनांक: 30.11.2024 तक** लागू रहेगा।
2. यह कि किरायेदार मासिक किराया रू0 11000/– (ग्यारह हजार रूपये) प्रतिमाह हर महीने के प्रथम सप्ताह में मकान मालिक को निश्चित रूप से दे दिया करेंगे। (बिजली बिल अलग से) ।

3. यह कि मकान मालिक का अपना सब–मीटर लगा हुआ है जिसमें किरायेदार जितना बिजली का उपयोग करेंगे उसका भुगतान अलग से उन्हीं को करना होगा।

4. यह कि किरायादार किसी भी दो महिने तक मकान मालिक को किराया नहीं देते हैं तो डिफाल्टर समझे जायेंगे । और यह एकरारनामा सह किरायानामा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

5. यह कि उक्त किराया पर दिए गये मकान को द्वितीय पक्ष/किरायेदार केवल आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग में लायेंगे तथा किसी प्रकार का अवैध या आपत्तिजनक सामान नहीं रखेंगे ।

6. यह कि उक्त किरायाभुक्त मकान को द्वितीय पक्ष/किरायेदार किसी भी हालत में सबलेट यानि किसी दूसरे व्यक्ति को किराया पर नहीं दे सकेंगे।

NOTARY PUBLIC
Madhav Nath Mishra
Area-Dist.-Deoghar
Reg. No. 13548
Exp. Date-14/11/26
GOVT. OF INDIA

7. यह कि उक्त आवासीय मकान में मकान मालिक के अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष/किरायेदार किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

8. यह कि किरायेदार उक्त किरायाभुक्त मकान का केवल आवासीय यानि रहने के उद्देश्य से ही उपभोग करेंगे किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान रखना वर्जित रहेगा।

9. यह कि यदि किराया की अवधि के बीच में यदि मकान मालिक को अपने कार्य के लिये मकान की आवश्यकता होगी तो एक महीने पूर्व सूचना देकर मकान खाली करवा सकते हैं ।

10. यह कि किराया की ग्यारह महीने की अवधि समाप्त हो जाने पर किरायेदार उक्त मकान को मकान मालिक को सौंप देंगे। और यदि मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच में सम्बन्ध अच्छा रहा तो किराया की अवधि पुनः नये एकरारनामा किराये में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया की अवधि बढ़ाई जा सकती हैं जो केवल मकान मालिक की ईच्छा पर ही निर्भर करेंगे, किसी प्रकार का दबाव अवैध समझा जायेगा।

उपरोक्त सारे तथ्यों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ कर सही लिखा पाकर निम्न गवाहनों के समक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर कर दिया जो वक्त जरूरी काम आवे।

इति तारीख : 02/01/024

NOTARY PUBLIC
Madhav Nath Mishra
Area-Dist.-Deoghar
Reg. No. 13548
Exp. Date-14/11/28
GOVT. OF INDIA

गवाहन :–

1. नीरज कुमार
2. कजरैली भेकापुर भागलपुर

सौरभ कुमार राय
ग्राम पोस्ट बाघमारी
जिला देवघर

Sanjay Bharadwaj

प्रथम पक्ष मकान मालिक का हस्ताक्षर

गोपाल रंजन

Rajesh Ranjan

द्वितीय पक्ष किरायेदार सह –पार्टनर्स का हस्ताक्षर ।

उभय पक्षों ने मेरे समक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर किये।

Mishra 02/01/024

Poppu (L) Das

अधिवक्ता, देवघर कोर्ट।

2/01/2024

नोटरी पब्लिक, देवघर।

NOTARY PUBLIC
MADHAV NATH MISHRA
GOVT. OF INDIA

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION, DEOGHAR

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. **17520923103202305411З** Date : **31-03-2023**

Department / Section : Revenue Section

Ward No : **32**

Account Description : Holding Tax & Others

Holding No. : **0180000758000A1**

Owner Name **SANJAY BHARADWAJ S/O LT.SITARAM SHARMA**

Address : **CASTAIR TOWN,NEAR D.A.V PUBLIC SCHOOL,DEOGHAR, DEOGHAR, DEOGHAR Pin - 814112**

MOB No : **9430347866**

A Sum of Rs. **1639.00** (in words) **One Thousand Six Hundred and Thirty-Nine Only**

towards **Holding Tax & Others** vide **Cash**

Dated **31-03-2023** Drawn on **NA** Place Of The Bank.

N.B.Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear		0.00
Holding Tax Current	1 / 2022-2023 To 4 / 2022-2023	1568.76
	Total	**1568.76**
	Additional Tax	0.00
	Penalty / Interest Amount	**71.00**
	Rebate on current Demand	**0.00**
	Adjust amount	**0.00**
	Amount Received	**1639.00**
	Advance Amount	**0.00**

Signature of Tax Collector

Deoghar Municipal Corporation, Deoghar

Note:-

- This is a Computer genrated Receipt.This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax amount by paying the tax before 30th june of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
or Call us at 18001237785

In Collaboration With
Sri Publication & Stationers Pvt. Ltd.